भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *260

दिनांक 12.08.2026 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ किया जाना

*260 श्री संत बलबीर सिंहः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों, कर्मचारियों की कमी, निधि के जारी होने में विलंब और शक्तियों के सीमित हस्तांतरण सहित देश भर में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों का आकलन किया है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को इन मुद्दो के संबंध में राज्यों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण सहित, पीआरआई की वित्तीय और प्रशासनिक क्षमता को सुदृढ करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है; और

(घ) क्या सरकार पीआरआई की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी कार्यकरण में सुधार हेतु कोई नई योजना या नीति शुरू करने का विचार रखती है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ किया जाना' के संबंध दिनांक 12.08.2026 को उत्तरार्थ राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 260 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार**,** पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतें स्थानीय सरकार के रूप में कार्य करती हैं। चूंकि 'पंचायत', पूर्णत: राज्य का विषय है, इसलिए अपर्याप्त वित्तीय संसाधन, कर्मचारियों की कमी, निधि के जारी होने में विलंब या शक्तियों के सीमित हस्तांतरण सहित पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष आने वाली किसी भी चुनौती का आकलन करना संबंधित राज्य सरकार पर निर्भर करता है।

जहां तक निधि के जारी होने में विलंब का प्रश्न है तो, 15वें वित्त आयोग द्वारा अपनाए गए निधि के आवंटन में राज्यों के बीच पारस्परिक वितरण जनसंख्या पर 90 प्रतिशत के भारांक और राज्यों के क्षेत्रफल पर 10 प्रतिशत के भारांक पर होता है। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान जारी करने के लिए अनिवार्य पात्रता शर्तों जैसे कि समय पर पंचायत चुनाव कराना**,** राज्य वित्त आयोग का गठन आदि**,** के संबंध में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान प्राप्त होने पर राज्य सरकारों को 10 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित पंचायतों/पारंपरिक निकायों को हस्तांतरित करना आवश्यक है। जिन राज्यों ने उक्त प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में बताई गई अनुदान को जारी करने की पात्रता शर्तें पूरी कर ली थी, तो केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे राज्यों को अनुदान जारी करने में कोई देरी नहीं हुई है।

(ख) 'पंचायत' राज्य का विषय है इसलिए ये मुद्दे राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालांकि**,** पंचायती राज मंत्रालय में**,** पिछले तीन वर्षों के दौरान 15वें वित्त आयोग की निधि के जारी होने में विलंब से संबंधित अभ्यावेदन कई राज्यों से प्राप्त हुए थे। उक्त अभ्यावेदनों को**,** 15वें वित्त आयोग अनुदान की किस्तों को जारी करने के लिए निर्धारित की गई शर्तों को पूरा करने लिए राज्यों को वापस भेज दिया गया था। जिन राज्यों द्वारा उक्त शर्तों को पूरा किया गया उन्हें रोकी गई निधि जारी कर दी गई ।

(ग) चूंकि 'पंचायत' राज्य का विषय है**,** इसलिए पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय और प्रशासनिक क्षमता को सुदृढ करना**,** जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण भी शामिल है**,** संबंधित राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है। पंचायती राज मंत्रालय सीमित रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण और पंचायतों की वित्तीय आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। इस मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 (10.07.2026 तक) के दौरान

कुल 1,66,41,509 प्रतिभागियों, जिनमें राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स भी शामिल हैं, को प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही, कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए, नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम के तहत भारतीय प्रबंधन संस्थान/भारतीय तकनीकी संस्थान जैसे उत्कृष्ट संस्थानों के माध्यम से पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस मंत्रालय ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के सहयोग से ग्राम पंचायतों की वित्तीय आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए स्वयं के राजस्व स्रोत (ओ.एस.आर.) पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया है। यह मॉड्यूल निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों को यह समझने में मदद करता है कि कर और गैर-कर स्रोतों से ओ.एस.आर. कैसे उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को उनके स्वयं के राजस्व/ओ.एस.आर. के विधिक एवं संस्थागत ढाँचे को सुदृढ़ करने में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से, इस मंत्रालय ने ओ.एस.आर. हेतु मॉडल नियम तैयार किए हैं, जिन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विचारार्थ मार्गदर्शक रूपरेखा के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इसके अलावा, पंद्रहवें वित्त आयोग (**XV-FC)** ने वित्तीय वर्ष 2020-21से 2025-26 (अंतरिम अवधि 2020–21 सहित) के लिए सभी 28 राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु कुल ₹2,97,555 करोड़ के अनुदान की सिफारिश की थी, जिसमें से 31.03.2026 तक ₹2,82,632.34 करोड़ जारी किए गए हैं। 16वें वित्त आयोग ने 28 राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए **₹**4.35 लाख करोड़ के अनुदान की सिफारिश की है।

(घ) चूंकि "पंचायत" राज्य का विषय है, इसलिए पंचायती राज संस्थाओं की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी कार्यकरण में सुधार हेतु कोई नई योजना या नीति शुरू करना संबंधित राज्य सरकार का कार्य है। हालांकि, 16वें वित्त आयोग ने 28 राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए ₹4.35 लाख करोड़ के अनुदान की सिफारिश की है, जिनमें से, ₹87,048 करोड़ की सिफारिश प्रदर्शन अनुदान के तौर पर की गई है। ग्रामीण स्थानीय निकायों को उक्त प्रदर्शन अनुदान को प्राप्त करने के लिए 16वें वित्त आयोग की अनुदान की शर्तों के अनुसार, स्वयं के राजस्व स्रोतों में वृद्धि प्रदर्शित करनी होगी।

***